न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 153/2018

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र श्री पालाराम जाति जाट निवासी कणाऊ भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादी

बनाम

1. पालाराम पुत्र श्री ईसरराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. शान्ति देवी पत्नी पालाराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
3. भागवती पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
4. जैता पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
5. मंजू पुत्री पालाराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा भादरा (समेकित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भादरा) जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा **: वादी**

वकील श्री प्रभु गोदारा **: प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 13-06-2018

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गाव कणाऊ के खाता सं0 128/115 के खसरा सं0 24 की 16.0610 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 पालाराम का 7/8 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा यानि 7/32 हिस्सा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं0 221/128 के खसरा सं0 24 की 16.0610 है0 कुल क्षेत्रफल 30.0860 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 पालाराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं0 1 पालाराम, वादी का पिता है व प्रतिवादी सं0 2 वादी की माता है। प्रतिवादी सं0 3 ता 5 वादी की सगी बहने है। उपर वर्णित कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जो वादी के पिता पालाराम प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता ईसरराम से तथा ईसरराम को अपने पिता कुम्भा से विरासतन प्राप्त हुई थी। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 पालाराम के नाम से परिवार का कर्ता खानदान होने कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 पालाराम के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का भी हक व अधिकार निहित है। वाद

कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 3 ता 5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 5 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 6 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में विनोद कुमार पुत्र पालाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम कणाऊ प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 128/115 सम्वत् 2068–71 की प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 221/128 सम्वत् 2072–75 की प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादभूमि पैत्रक सहदायिकी सम्पति है जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम कणाऊ प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है एवं वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी सं0 1 पालाराम के नाम दर्ज है। वादभूमि में पैत्रक सहदायिकी सम्पति में वादी व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा रखते है व उसकी घोषणा करवाने के अधिकारी है मगर कोई भी हिन्दू महिला अपने पति के जीवनकाल में पति की सम्पति में हक हिस्सा घोषित करवाने या प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखती है, इसलिए वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 ता 5 बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 हिस्सा के अधिकारी है। प्रतिवादीया ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के हक में छोड़ दिया है मगर प्रतिवादिया सं0 2 के हक हिस्सा की घोषणा न होने के कारण प्रतिवादीया सं0 2 वादभूमि में सहखातेदार की हैसियत से स्थापित नहीं हो सकती, बिना सहखातेदारी प्रतिवादीया सं0 2 के पक्ष में हक त्याग भी नहीं हो सकता है, तो वह हिस्सा वादी व प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 के हक में ही कायम रखा जाना उचित है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गाव कणाऊ के खाता सं0 128/115 के खसरा सं0 24 की 16.0610 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 पालाराम का 7/8 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा यानि 7/32 हिस्सा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं0 221/128 के खसरा सं0 24 की 16.0610 है0 कुल क्षेत्रफल 30.0860 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 पालाराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 अकेले के बजाय वादी 2/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का 2/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 का 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दी है

इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वादकृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादी के नाम 2/5 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/5 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 के नाम 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13-06-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़